

**राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक प0 8(2) राज/वाद/12

जयपुर, दिनांक 21-05-2025

:: आदेश ::

नवसृजित विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं02, बीकानेर/सं02, जोधपुर महानगर, अपर जिला न्यायाधीश, बर जिला ब्यावर एवं केशोरायपाटन जिला बून्दी में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता संवर्ग के विशिष्ट लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक तथा इनके स्टाफ के पद लेखामद 2014-00-114-01-00-01 (राज्यनिधि) में निम्नानुसार पदों के सृजन की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	पद नाम	कुल सृजित पद	पे बैंड/ग्रेड पे
1	विशिष्ट लोक अभियोजक (अधिवक्ता संवर्ग)	02	24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) रिटेनरशिप
2	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक (अधिवक्ता संवर्ग)	02	21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) रिटेनरशिप
3	शीघ्र लिपिक	02	9300-34800, ग्रेड पे- 3600/- (एल-10)
4	कनिष्ठ सहायक	04	5200-20200, ग्रेड पे- 2400/- (एल-5)
5	होमगार्ड	04	-

उपरोक्त नव सृजित पदों का कार्यालय वार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या
1	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं02, बीकानेर (अधिवक्ता संवर्ग)	01	शीघ्र लिपिक	01	कनिष्ठ सहायक	01	होमगार्ड	01
2	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं02, जोधपुर महानगर (अधिवक्ता संवर्ग)	01	शीघ्र लिपिक	01	कनिष्ठ सहायक	01	होमगार्ड	01
3	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, बर जिला ब्यावर	01	-	-	कनिष्ठ सहायक	01	होमगार्ड	01
4	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, केशोरायपाटन जिला बून्दी	01	-	-	कनिष्ठ सहायक	01	होमगार्ड	01

लगातार.....

उपरोक्त नवसृजित कार्यालयों हेतु नवीन आईटम हेतु लेखामद 2014-00-114-01-00-05 कार्यालय व्यय (राज्य निधि) में उपलब्ध प्रावधान में से व्यय करने की सहमति निम्नानुसार प्रदान की जाती है, यह उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना करते हुये किया जावे:-

क्र०सं०	फर्नीचर का नाम	संख्या	अनुमानित दर	अनुमानित व्यय
1	टेबिल	08 (विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक के प्रत्येक कार्यालय हेतु 02)	10000/-	80,000/-
2	कुर्सी	32 (प्रत्येक कार्यालय हेतु 08)	4000/-	1,28,000/-
3	आलमारी	08 (प्रत्येक कार्यालय हेतु 02)	15,000/-	1,20,000/-
4	विविध अन्य कार्यालय सामग्री	प्रत्येक कार्यालय हेतु लगभग 10000/-रु०	10,000/- प्रति कार्यालय	40,000/-
			योग	3,68,000/-

नवसृजित कार्यालय, पदों एवं उपरोक्त फर्नीचर कय करने की स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी सं० 102500275 दिनांक 20.05.2025 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से,

Sd
(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण।
5. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर/जोधपुर महानगर/अजमेर/बून्दी।
6. विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो सं० 2 बीकानेर/सं० 2 जोधपुर महानगर एवं अपर जिला न्यायाधीश, बर जिला ब्यावर/केशोरायपाटन जिला बून्दी।
7. जिला कलक्टर, बीकानेर/जोधपुर महानगर/ब्यावर/बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन आईटम वर्ष 2025-26 में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए कय कर संबंधित कार्यालयों को उपलब्ध करवाया जाना तथा उपरोक्त कार्यालयों में होमगार्ड की सेवायें भी उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
9. कोषाधिकारी, बीकानेर, जोधपुर महानगर, ब्यावर, बून्दी।
10. संबंधित कार्यालय।
11. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वांछित बजट संबंधित जिला कलक्टर को आवंटित करें।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

Sd
21.5.25
(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि